उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनु0-5
संख्या :-112/2025/आई-943072/2025/145/23-5-2025-23-3-5099-099-18-2025
लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस, निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों में ठहरने वाले आगन्तुकों से किराया वसूल किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-260 ईजी/23-5-2013-50(71)ईजी/04, दिनांक 18.03.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-1808ईजी/23-5-2013-50(71) ईजी/04 दिनांक 17.12.2013 को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित तलिकानुसार किराया वसूल किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	आगन्तुको की श्रेणी	निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों का पूर्व निर्धारित किराया				निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों/विश्राम गृहों का संशोधित किराया	
		किराया प्रतिदिन (प्रति कक्ष)		बिजली शुल्क प्रतिदिन (प्रति कक्ष)		किराया प्रतिदिन बिजली शुल्क सहित (प्रति कक्ष)	
		वातानुकूलित	गैर वातानुकूलित	वातानुकूलित	गैर वातानुकूलित	वातानुकूलित	गैर वातानुकूलित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरकारी अधिकारियों से ड्यूटी पर 07 दिन तक	60/-	40/-	60/-	20/-	500/-	300/-
2	सरकारी अधिकारियों से ड्यूटी पर 07 दिन से अधिक ठहरने पर	120/-	80/-	60/-	20/-	700/-	500/-
3	सरकारी अधिकारियों, जो निजी कार्य से ठहरते हैं(07 दिन तक)	200/-	160/-	60/-	20/-	800/-	600/-
4	सरकारी अधिकारियों, जो निजी कार्य से ठहरते है(07 दिन से अधिक)	250/-	200/-	60/-	20/-	1000/-	800/-
5	पर्यटकों/प्राइवेट व्यक्तियों से	400/-	200/-	60/-	20/-	2500/-	2000/-
6	विदेशी पर्यटकों से	600/-	400/-	60/-	20/-	3500/-	2500/-
7	मा0 मंत्रीगण तथा समकक्षता प्राप्त मा0 अध्यक्ष व मा0 उपाध्यक्ष, विधानसभा, सभापति व मा0 उपसभापति विधान परिषद, उपमंत्री,	शून्य	बिजली के बिल का व्यय शासन के	शून्य	बिजली के बिल का व्यय शासन	300/-	200/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	मा0 उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 न्यायाधीश		सचि0 प्रशा0(लेखा) अनु0 द्वारा भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी।		के सचि0 प्रशा0(लेखा) अनु0 द्वारा भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी।		
8	मा0 मंत्रीगण के संसदीय सचिव	-	-	-	बिजली के बिल का व्यय शासन के सचि0 प्रशा0(लेखा) अनु0 द्वारा भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी।	500/-	300/-
8A (I)	पूर्व सांसद/सदस्य, विधान परिषद/ विधान सभा (7 दिन तक)	200/-	160/-	60/-	20/-	800/-	600/-
8ए (II)	पूर्व सांसद/सदस्य, विधान परिषद/ विधान सभा (7 दिन से अधिक)	250/-	200/-	60/-	20/-	1000/-	800/-
9	विधान सभा तथा विधान परिषद के मा0 सदस्य गण हेतु	-	-	-	1. क्रम सं0-8 के अनुसार 2. यदि डयूटी पर जाते है तो केवल सेवा शुल्क	300/-	200/-
10	उ0प्र0 के निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों से	200/-	160/-	60/-	20/-	800/-	600/-
11	भारत सरकार के अधिकारियों से (07 दिन तक)	200/-	160/-	60/-	20/-	800/-	600/-
12	भारत सरकार के अधिकारियों से	400/-	320/-	60/-	20/-	2500/-	2000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

	(07 दिन से अधिक)						
13	अन्य राज्य के अधिकारियों से (यदि इस सम्बन्ध में कोई पारस्परिक व्यवस्था हो तो एक ही वर्ग माना जाये, अन्यथा सामने संशोधित दर लागू होगी।)	200/-	160/-	60/-	20/-	800/-	600/-
14	भारत गणराज्य तथा अन्य प्रदेश के सरकारी/निगमो/उपक्रमों के कर्मचारी	200/-	160/-	60/-	20/-	800/-	600/-

2- उक्त संशोधित दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ लागू होगी-

(1) प्रत्येक सरकारी अधिकारी या रियायती दर पर रुकने के लिये अर्ह अन्य व्यक्ति सात पूर्ण दिन पूर्ण करने के पश्चात उसी निरीक्षण गृह में पुनः 3 दिन के पश्चात ही रूक सकेंगे। अतः गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये निर्धारित किराया वसूल किया जायेगा।

(2) कक्षों, में रूकने वाले महानुभावों से एक सप्ताह तक सामान्य किराया लिया जायेगा और एक सप्ताह से अधिक, किसी भी आगन्तुकों को ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई आगन्तुक इस अवधि से अधिक ठहरते है तो उन्हें एक माह तक अनुमन्य किराये का दो गुना प्रतिदिन और उसके पश्चात चार गुना प्रतिदिन प्रतिकर के रूप में भुगतान करना होगा।

(3) यदि कोई आगन्तुक एक सप्ताह रूकने के पश्चात 10 दिन के अन्दर पुनः एक या दो दिन दोबारा रूकता है, तो सामान्य किराया लिया जायेगा, किन्तु यदि पुनः तीन दिन या अधिक अवधि तक रुकता है तो दोनों अवधि का अन्तर होना चाहिए। यदि अन्तर दस दिन से कम है तो सामान्य किराया न लेकर पूरी अवधि को एक मानते हुए उपरोक्त प्रतिबन्ध-2 के अनुसार प्रतिकर वसूल किया जायेगा।

(4) मा0 अध्यक्ष एवं मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा, मा0 सभापति एवं मा0 उप सभापति विधान परिषद, मा0 उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 न्यायाधीश पर उपर्युक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

(5) यदि कोई सरकारी डयूटी पर रहते हुए एक दिन से अधिक सूट आरक्षित कराता है, तो उससे उपरोक्त तालिका के क्रमांक-5 के अनुसार प्रत्येक सूट का अतिरिक्त प्राईवेट व्यक्तियों की भाँति किराया वसूल किया जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न सं0-E-8-18-X-2025-26, दिनांक अप्रैल 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रकाश बिंदु
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या :-112/2025/आई-943072/2025/145(1)/23-5-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधानसभा, उ0प्र0।

3- रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद/खण्डपीठ लखनऊ।

4- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

6- समस्त मंडलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

7- प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/ प्रमुख अभियंता (परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।

8- समस्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।

9- राज्य संपत्ति अधिकारी, राज्य संपत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- वित्त (व्यय नियंत्रक), अनुभाग-8/सिचाई अनु0-8/वन अनु0-3।

11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।